2007:CGHC:7852

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4052/2004

याचिकाकर्ता : निदेशक, कीस्टोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य

– विरुद्ध –

उत्तरवादी : श्रम न्यायालय, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत दुर्ग में गठित है एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु दिनांक निर्धारित की जाती है: 06–02–2007

हस्ताक्षरित/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 4052 / 2004

एकल पीठ : **माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

याचिकाकर्ता: निदेशक, कीस्टोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : श्रम न्यायालय, अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम, दुर्ग व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित :

श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता एवं श्री इन्द्रसेन साहू, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए।

श्रीमती सुधा भारद्वाज, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित हुई।

आदेश

(दिनांक 6 फरवरी, 2007 को पारित)

यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन दायर की गई है, जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम, दुर्ग के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/आई.डी. एक्ट/संदर्भ/1999 में पारित दिनांक 06.08.2004 के निर्णय की वैधता को चुनौती दी गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1, कीस्टोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का निदेशक है तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 2 एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जिसका नाम विष्णु केमिकल्स प्रा. लि. है, जो याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान की हस्तांतरित इकाई है। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उप श्रम

आयुक्त, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, रायपुर के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद को श्रम न्यायालय/उत्तरवादी क्रमांक 1 के पास निम्नलिखित संदर्भ पर निर्णयार्थ भेजा गया :

"क्या उदयश्याम तथा अन्य तीन व्यक्तियों को हटाना न्यायोचित एवं वैध है, यदि नहीं, तो वे किस प्रकार के अनुतोष के पात्र हैं तथा नियोजक को किस प्रकार का निर्देश दिया जा सकता है? "

(3) उत्तरवादी क्रमांक 2 ने श्रम न्यायालय के समक्ष दावा विवरण (संलग्नक–पी/2) प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि श्रमिक अर्थात् उदयश्याम एवं अन्य तीन व्यक्तियों की नियुक्ति याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा नियोजित की गई थी तथा याचिकाकर्ता क्रमांक 2, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का अभिकर्ता था। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने अक्टूबर 1998 में अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान को अवैधानिक रूप से बंद कर दिया था। उक्त प्रतिष्ठान को 06.01.1999 को पुनः प्रारंभ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को स्थानांतरण स्वीकार करने अथवा अंतिम भुगतान लेने के लिए विवश किया गया। बंद करने से पूर्व नियोजक ने न तो कोई सूचना दी थी और न ही विधि के अनुसार आवश्यक प्रतिकर का भुगतान किया था। अतः प्रार्थना की गई है कि उक्त श्रमिकों को पूर्ण बकाया वेतन सहित पुनः सेवा में बहाल किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4). याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने लिखित कथन (संलग्नक–P/3) प्रस्तुत किया और उत्तरवादी क्रमांक 2 के उन कथनों का खण्डन किया जिनमें यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 – विष्णु केमिकल्स प्रा. लि. – याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का अभिकर्ता था। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 कंपनियों अधिनियम के अधीन पंजीकृत एक स्वतंत्र निजी लिमिटेड कंपनी है। यह भी खण्डन किया गया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 की स्थापना को अक्टूबर 1998 से अवैध रूप से बंद कर दिया गया था। कहा गया कि उक्त स्थापना निरंतर हानियों में चल रही थी और बारंबार होने वाली हानियों के चलते उत्पादन जारी रखना संभव नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रतिष्ठान को बंद कर दिया जाए, और श्रमिकों तथा श्रम आयुक्त को यथोचित सूचना देने के उपरांत, स्थापना को दिनांक 06.01.1999 से प्रभावशील रूप से बंद कर दिया गया।

यह भी कहा गया कि समापन के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया। यह कहा गया कि सभी श्रमिकों को एक माह का वेतन, छटनी प्रतिकर, एवं अर्जित किन्तु उपभोग न किए गए अवकाश की नकदीकरण राशि का भुगतान किया गया। सभी श्रमिकों ने अपनी अंतिम भुगतान राशि स्वीकार कर ली,

सिवाय उन चार श्रमिकों के, जो इस रिट याचिका में उत्तरवादी क्रमांक 2 के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अंतिम भुगतान स्पष्टतः स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता क्रमांक 1 की संयंत्र एवं मशीनरी को पट्टा अनुबंध दिनांक 21.01.1999 (संलग्नक–R/2) के अनुसार दिनांक 28.12.1998 से स्थानांतरित कर दिया गया। सभी श्रमिकों की सेवा विधि अनुसार छटनी की गई और उन्होंने अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिया, सिवाय उन चार श्रमिकों के जो उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत हैं।

यह भी कहा गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान को बंद करने की सूचना मध्यप्रदेश शासन, श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव को दी गई थी, जिसकी प्रतिलिपियाँ श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त तथा रोजगार कार्यालय, दुर्ग को भी प्रेषित की गईं। उक्त चार श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 05.01.1999 को सूचना दी गई थी। स्थापना बंद किए जाने के संबंध में सूचना पटल पर भी चस्पा की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपनी दावा याचिका में दिनांक 26.07.2001 को संशोधन करते हुए अनुच्छेद 8 (a), (b) तथा (c) जोड़े, जिनमें कहा गया कि स्थानांतरण दिनांक 28.12.1998 को किया गया था और उक्त तिथि से पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में "आई.डी. अधिनियम") की धारा 25–FF के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। अतः आई.डी. अधिनियम की धारा 25–FF के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

(5) श्रम न्यायालय ने निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किए:

(i) क्या 06.01.1999 को संस्थान का बंद किया जाना वैध और उचित था?

(ii) क्या श्रमिकों की सेवा से हटाया जाना वैध था?

(iii) अनुतोष एवं व्यय।

पहले दो वाद प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया गया। श्रम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है याचिकाकर्ता क्रमांक 1 – प्रतिष्ठान में 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे, अतः नियोजक को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 FF के उपबंधों का पालन करना अनिवार्य था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 – प्रतिष्ठान का बंद किया जाना अवैध था क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा

25 FF के अंतर्गत आवश्यक पूर्व सूचना, अर्थात् बंद होने से 60 दिन पूर्व सूचना दी जानी थी, जो इस प्रकरण में नहीं दी गई। आगे यह भी माना गया कि यह संस्थान के बंद होने का प्रकरण नहीं था अपितु यह याचिकाकर्ता क्रमांक 1 से याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को संस्थान के स्थानांतरण का प्रकरण था और उस परिस्थिति में भी धारा 25 FF के प्रावधानों का पालन आवश्यक था।

श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विधि के प्रावधानों का पालन किए बिना, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने उत्तरवादी क्रमांक 2 के माध्यम से प्रस्तुत श्रमिकों को सेवा से हटा दिया, अतः सेवा से हटाना अवैध था और उक्त श्रमिकों को स्थानांतरण कंपनी, अर्थात याचिकाकर्ता क्रमांक 2 के नए संस्थान में पुनर्नियुक्ति के पुनर्नियुक्ति के पात्र है। श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2004 के पारित निर्णय (पी/12) में उक्त श्रमिकों को पूर्ण बकाया वेतन सहित पुनः नियुक्त किए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता – हस्तांतरणकर्ता एवं स्थानांतरणकर्ता कंपनियों ने इस निर्णय की वैधता को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) वाद विवाद के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 6.5 के आधार को आगे नहीं बढ़ाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे प्रार्थना के अनुसार स्वीकार कर लिया गया।

(7). श्री राजीव श्रीवास्तव, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि श्रम न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना कि वादग्रस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान का हस्तांतरण विष्णु केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड — याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को किया गया, यह तथ्यतः सही है। उदयश्याम तथा अन्य तीन श्रमिक, जिनका प्रतिनिधित्व उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा किया गया है, निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता क्रमांक 1 के कर्मकार हैं, तथा ऐसे में याचिकाकर्ता क्रमांक 2 के प्रतिष्ठान, जो कि पट्टा अनुबंध दिनांक 21.01.1999 के अधीन एक ग्रहणकर्ता प्रतिष्ठान है, में उक्त कर्मकारों की पुनर्नियुक्ति हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यह उत्तरवादी क्रमांक 2 का भी कथन नहीं है कि उक्त कर्मकार याचिकाकर्ता क्रमांक 2 के प्रतिष्ठान के सेवक थे।

श्रम न्यायालय द्वारा अपने संदर्भ की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उक्त कर्मकारों को ग्रहणकर्ता प्रतिष्ठान में पुनर्नियुक्त करने का आदेश दिया गया, जबकि यह विवाद न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 06.01.1999 को प्रतिष्ठान को बंद कर दिया गया था। इसके उपरांत, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2 के बीच प्रतिष्ठान के हस्तांतरण के उद्देश्य से

दिनांक 21.01.1999 को एक पट्टा अनुबंध संपादित किया गया, जिसे पूर्व प्रभाव से दिनांक 28.12.1998 से लागू किया गया। यह प्रक्रिया असामान्य नहीं मानी जा सकती। उक्त अनुबंध प्रतिष्ठान के समापन के पश्चात निष्पादित किया गया था, और इसका उद्देश्य केवल हस्तांतरण को विधिसम्मत स्वरूप प्रदान करना था। अनुबंध को पूर्व-प्रभाव से लागू किए जाने से हस्तांतरण की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता।

श्रम न्यायालय ने यह पूर्णतः उपेक्षित कर दिया कि **औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25–FF** के अनुसार उपक्रम के हस्तांतरण की स्थिति में कर्मकारों को प्रतिकर प्रदान किया जाना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि वह प्रत्येक कर्मकार जो हस्तांतरण के ठीक पूर्व उस उपक्रम में *निरंतर कम से कम एक वर्ष* से सेवारत रहा हो, उसे **धारा 25–F** के प्रावधानों के अनुसार *सूचना* तथा *प्रतिकर* प्राप्त करने का अधिकार होगा, मानो उसे *छटनी की गई हो* ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25–F यह प्रावधनित करती है कि या तो *एक माह की पूर्वसूचना* दी जानी अपेक्षित है अथवा उसके स्थान पर *एक माह का वेतन* प्रदत्त किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रतिपादित किया कि वर्तमान प्रकरण में एक माह की सूचना प्रदान देने का समय नहीं था, अतः *वर्तमान चार कर्मकारों सहित अन्य कर्मकारों को सूचना के स्थान पर एक माह का वेतन, छंटनी प्रतिकर तथा अन्य स्वीकृत देयकों* का भुगतान किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उक्त चार कर्मकारों को छोड़कर, *शेष सभी कर्मकारों ने* एक माह का वेतन, छटनी मुआवज़ा तथा अन्य वैध अंतिम देयों को स्वीकार कर लिया था। अतः, श्रम न्यायालय द्वारा यह कहना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम **धारा 25–FF** एवं **धारा 25–FFA** के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, यह विधिसम्मत नहीं है। एक बार जब श्रम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 से याचिकाकर्ता क्रमांक 2 को प्रतिष्ठान का हस्तांतरण हुआ, तो ऐसी स्थिति में **धारा 25–FFA** का अनुपालन अपेक्षित नहीं था, तथापि श्रम न्यायालय ने **धारा 25–FFA** के प्रावधानों के अनुपालन न होने के आधार पर ही सेवामुक्ति आदेश को अमान्य घोषित कर दिया।

(8) इसके विपरीत, श्रीमती सुधा भारद्वाज, उत्तरवादी क्रमांक-2 की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक-1 के संस्थान में पचास से अधिक श्रमिक कार्यरत थे। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता क्रमांक-1 ने विवादित संस्थान को बंद करने से पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा

25-FFA के अन्तर्गत आवश्यक पूर्व सूचना प्रदान नहीं की थी। यह पाया गया कि उक्त तथ्य पर किसी भी कार्यवाही में उत्तरवादी क्रमांक-2 के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। विद्वान् अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं किया है की सभी श्रमिकों को एक माह का वेतन, छंटनी क्षतिपूर्ति तथा अप्रयुक्त अवकाश की नकद राशि सभी श्रमिकों को प्रदान की गई थी। उक्त चार श्रमिकों को छोड़कर शेष सभी ने उक्त भुगतान स्वीकार कर लिया। एक माह की पूर्व सूचना की अवधि के स्थान पर, एक माह का वेतन धारा 25-FF के अनुसार दिया गया या प्रस्तावित किया गया था। विद्वान् अधिवक्ता ने अनेक अन्य विषय भी प्रस्तुत किए, जो इस प्रकरण के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

(9) मैंने श्री राजीव श्रीवास्तव एवं श्री इंद्रसेन साहू, जो याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हैं, और श्रीमती सुधा भारद्वाज को, जो उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हैं, सुना तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दलीलों और संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

(10) यह दस्तावेज़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या के संबंध में याचिकाकर्ता संख्या 1 की अधिपत्य में याचिकाकर्ताओं का तर्क विवादित नहीं है। स्वीकृत रूप से, वहाँ 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत थे और श्रम न्यायालय को इस विषय में न्यायिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और याचिकाकर्ता संख्या 2 के मध्य पट्टा (लीज़) समझौते का तथ्य भी विवादित नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने प्रतिष्ठान को बंद करने का निर्णय लिया और उक्त प्रतिष्ठान को दिनांक 06.01.1999 से बंद कर दिया गया। इस आशय की जानकारी सहायक श्रम आयुक्त, नेहरू नगर, दुर्ग (म.प्र.) को दिनांक 18.01.1999 के पत्र (परिशिष्ट P/10) के माध्यम से दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी श्रमिकों को, जिनमें वर्तमान चार श्रमिक भी सम्मिलित हैं,को एक माह का नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा एवं अप्रयुक्त हिस्से के अवकाश की नकदीकरण राशि प्रदान की गई थी, परन्तु इन चार श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी श्रमिकों ने अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने सहायक श्रम आयुक्त, दुर्ग से इन चार श्रमिकों के संबंध में उक्त राशि कार्यालय में जमा कराने हेतु परामर्श प्राप्त किया। प्रारंभ में छह श्रमिकों ने भुगतान स्वीकार करने से इनकार किया, परंतु बाद में दो श्रमिकों ने भुगतान स्वीकार कर लिया, शेष वर्तमान चार श्रमिकों को छोड़कर।

प्रतिष्ठान के बंद होने के पश्चात, उक्त प्रतिष्ठान को याचिकाकर्ता संख्या 2 को पटटा करार दिनांक 21.01.1999 (दस्तावेज़ R/2) के माध्यम से दिनांक 28.12.1998 से हस्तांतरित कर दिया गया। तदनुसार, श्रम न्यायालय

ने यह माना कि यह हस्तांतरण का मामला है। परंतु श्रम न्यायालय ने समापन को अवैध माना और इस आधार पर यह भी माना कि **औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25FFA** के अंतर्गत समापन से 60 दिन पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक थी।

श्रम न्यायालय ने इस तथ्य की पूर्णतः अनदेखी की कि जब यह माना जा चुका है कि यह उपक्रम के स्थानांतरण का मामला है, तब औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-FFA लागू नहीं होगी, बल्कि धारा 25-FF के प्रावधान लागू होंगे, जो इस बात का उपबंध करते हैं कि उपक्रम के प्रत्येक श्रमिक को, ऐसे स्थानांतरण से ठीक पूर्व, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-F के अनुसार नोटिस तथा क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, मानो उस श्रमिक की सेवा समाप्त (छंटनी) कर दी गई हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-F यह उपबंध करती है कि श्रमिक को लिखित रूप में एक माह का नोटिस दिया जाए अथवा ऐसे नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन तथा छंटनी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, एक माह के नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन, छंटनी क्षतिपूर्ति तथा अप्रयुक्त अवकाश के अंश का नकदीकरण, सभी श्रमिकों को प्रस्तावित किया गया था। इन चार श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी श्रमिकों ने अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिया। श्रम न्यायालय ने इन चार श्रमिकों को याचिकाकर्ता क्रमांक-2 के प्रतिष्ठान में पुनर्नियुक्त करने का निर्देश देकर गंभीर त्रुटि की, जबकि यह किसी का भी मामला नहीं था कि ये श्रमिक याचिकाकर्ता क्रमांक-2 के कर्मचारी थे। उत्तरवादी क्रमांक-2 का कथन यह था कि वे याचिकाकर्ता क्रमांक-1 के कर्मचारी थे और याचिकाकर्ता क्रमांक-1 अपना प्रतिष्ठान चला रहा है, अतः इन्हें याचिकाकर्ता क्रमांक-1 के प्रतिष्ठान में बहाली किया जाना चाहिए। इस प्रकार, श्रम न्यायालय का आदेश दोषपूर्ण है और अपास्त किए जाने योग्य है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) इस प्रकरण में निहित विवाद के समुचित निराकरण के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं, अर्थात् धारा 25F, 25FF और 25FFA, का उल्लेख करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:

25F. कर्मकारों की छंटनी की पूर्व शर्तें।

– किसी उद्योग में नियोजित कोई भी कर्मकार, जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सेवा में रहा हो, उस नियोजक द्वारा तब तक छंटनी नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(a) कामगार को छंटनी के कारणों को दर्शाते हुए एक महीने का लिखित नोटिस दिया गया है और नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है, या कामगार को ऐसे नोटिस के बदले में नोटिस की अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया है:

(b) छंटनी के समय, कर्मचारी को प्रतिकर का भुगतान किया गया है जो पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा (निरंतर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)या उसके किसी भाग के लिए छह महीने से अधिक; और

(c) निर्धारित तरीके से सूचना समुचित सरकार (या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए) पर तामील की जाती है।

25–FF. उपक्रमों के स्थानांतरण की स्थिति में कर्मकारों को प्रतिकर।

जहां किसी उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन, चाहे समझौते द्वारा या कानून के प्रवर्तन द्वारा, उस उपक्रम से संबंधित नियोक्ता से किसी नए नियोक्ता को स्थानांतरित कर दिया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार जो ऐसे स्थानांतरण से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा है, धारा 25–एफ के प्रावधानों के अनुसार नोटिस और मुआवजे का हकदार होगा, जैसे कि कर्मकार को वापस ले लिया गया था:परन्तु इस धारा की कोई बात किसी कर्मकार पर उस दशा में लागू नहीं होगी, जहां स्थानांतरण के कारण नियोजकों में परिवर्तन हुआ हो, यदि–

(a) ऐसे स्थानांतरण से कर्मकार की सेवा बाधित नहीं हुई है;

(b) ऐसे स्थानांतरण के बाद कामगार पर लागू सेवा की शर्तें और निबंधन, स्थानांतरण से ठीक पहले उस पर लागू निबंधनों और शर्तों से किसी भी तरह से कम अनुकूल नहीं हैं; और

(c) नया नियोक्ता, ऐसे स्थानांतरण की शर्तों के अधीन या अन्यथा, कर्मचारी की छंटनी की स्थिति में, इस आधार पर उसे प्रतिकर देने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी है कि उसकी सेवा निरंतर रही है और स्थानांतरण के कारण उसमें कोई बाधा नहीं आई है।

25–FFA. किसी उपक्रम को बंद करने के इरादे की साठ दिन की सूचना दी जानी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) कोई नियोक्ता जो किसी उपक्रम को बंद करने का इरादा रखता है, उसे इच्छित बंद होने की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले, निर्धारित तरीके से, समुचित सरकार को उपक्रम के इच्छित बंद होने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए एक नोटिस देना होगा:परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(a) एक उपक्रम जिसमें–

(i) पचास से कम कामगार कार्यरत हैं, या

(ii) पिछले बारह महीनों में प्रति कार्य दिवस औसतन पचास से कम कामगार कार्यरत थे,

(b) इमारतों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के निर्माण के लिए स्थापित एक उपक्रम।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या ऐसी ही अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी अवधि के लिए लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12). **"अनकापल्ले सहकारी कृषि एवं औद्योगिक समिति लिमिटेड विरुद्ध श्रमिकगण एवं अन्य"** वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधानपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

''अतः, धारा 25–FF को संपूर्ण रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि, जब तक अंतरण परंतुक के अंतर्गत न आता हो, तब तक हस्तांतरित उपक्रम के कर्मचारी, हस्तांतरणकर्ता के विरुद्ध मुआवजे का दावा करने के अधिकारी होते हैं, और वे उपक्रम के हस्तांतरण–ग्राही के विरुद्ध पुनः नियोजन के लिए कोई दावा नहीं कर सकते।''

(13). माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दक्षिण अर्कोट विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल विरुद्ध एन. के. मोहम्मद ख़ान एवं अन्य**[2] वाद में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया :

"हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उस प्रधान खंड की भाषा यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यदि उसके अंतर्गत छटनी मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है, तो वह अधिकार उस पूर्व नियोजक के विरुद्ध होगा जो स्थानांतरण की तिथि तक उस उपक्रम का स्वामी था। यह बात उस खंड की भाषा में निहित है। वह खंड यह उपबंध करता है कि उसमें उल्लिखित प्रत्येक श्रमिक धारा 25–F के प्रावधानों के अनुसार, जैसे कि मानो उसका

छटनी की गई हो, सूचना और प्रतिपूरण का अधिकारी होगा। स्पष्टतः, ऐसे मामले में, अनुमानित छटनी की तिथि वही होगी जिस दिन उस उपक्रम का स्वामित्व अथवा प्रबंधन नए नियोजक को हस्तांतरित हुआ हो। वर्तमान मामले में, वह तिथि 1 जून, 1957 है, जब मद्रास अधिनियम के अधीन कंपनी का उपक्रम मद्रास सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यदि श्रमिकों की सेवाएँ उसी तिथि को समाप्त मानी जाती हैं, तो यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित करने हेतु कि छटनी किसके द्वारा किया गया तथा छटनी मुआवज़ा का उत्तरदायी कौन है, श्रमिक नए नियोजक के कर्मचारी नहीं माने जा सकते। नए नियोक्ता के अधीन सेवा केवल उसी समय से प्रारंभ हो सकती थी, जब उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन राज्य सरकार में निहित हो गया हो; किन्तु इस निहित होने के साथ ही, कार्यकारियों को सेवा से छंटनी किया हुआ माना जाना आवश्यक था।

अतः, यह छंटनी केवल पूर्व नियोजक द्वारा किया गया माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, वही पूर्व नियोजक धारा 25–F के अनुरूप सूचना देने के लिए सक्षम होगा। छंटनी की वह सूचना, जिसे राज्य सरकार को उपक्रम के अंतरण की तिथि से प्रभावी माना जाएगा, राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती थी। इन परिस्थितियों में यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अधिनियम की धारा 25–FF के अंतर्गत प्रतिपूरण का दावा श्रमिकों को उस पूर्व नियोजक के विरुद्ध प्राप्त होता है जिसके अधीन वे स्थानांतरण की तिथि तक नियोजित थे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14). माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेतन का भुगतान निरीक्षक, उज्जैन विरुद्ध सुरजमल मेहता, निदेशक, बरनगर विद्युत आपूर्ति एवं औद्योगिक कंपनी लिमिटेड [2] वाद में निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया:

" इस स्थिति में, जब किसी उपक्रम के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, चाहे वह समझौते द्वारा हो अथवा कानून के प्रावधानों के तहत, किसी श्रमिक की सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो ऐसे श्रमिक को धारा 25–FF के अंतर्गत मुआवजे का वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, जब तक कि उक्त धारा के उपबंध के अंतर्गत वह अधिकार समाप्त न हो जाए। यही स्थिति धारा 25–FFF के अंतर्गत उपक्रम के बंद होने के मामले में भी होती है। ऐसा मुआवजा, अधिनियम की धारा 2(vi)(d) के अनुसार, "वेतन" की परिभाषा में आता है, क्योंकि यह वह राशि है जो किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त होने के कारण, ऐसे किसी कानून के अंतर्गत देय होती है जो इस राशि के भुगतान का प्रावधान करता है, चाहे वह कटौती के साथ हो या बिना कटौती के, परंतु जिसमें भुगतान की समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई हो ,चूंकि धारा 25–FF और 25–FFF में, धारा 25–F के तहत छंटनी के मामले में लागू होने वाली पूर्व शर्तों की तरह कोई शर्त नहीं है, और हस्तांतरण व बंदीकरण बिना नोटिस दिए या उसके बदले एक महीने का वेतन दिए अथवा मुआवजा दिए वैध रूप से हो सकता है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि धारा

25–FF में मुआवजे के भुगतान की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह सर्वविदित है कि धारा 25–FF और 25–FFF में प्रयुक्त "धारा 25–F के प्रावधानों के अनुसार" शब्दावली का प्रयोग केवल मुआवजे की गणना के मापदंड के रूप में किया गया है, न कि इस उद्देश्य से कि नियोक्ता को मुआवजा किस समय–सीमा में देना होगा। अतः, यह स्पष्ट होता है कि धारा 25–FF और 25–FFF को धारा 25–F के साथ पढ़ने पर देय मुआवजा, अधिनियम की धारा 2(vi)(d) के अर्थ में, "मजदूरी" होगा।

(15) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुरनैल सिंह एवं अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य एवं अन्य** वाद में, जब किसी उपक्रम का हस्तांतरण राज्य की अभिकरण को किया गया, निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया :

"21. संक्षेप में कहा जाए तो, अधिनियम में धारा 25–FF के सम्मिलन से पूर्व भी, पूर्ववर्ती व्यवसायी के कर्मचारियों को उत्तरवर्ती व्यवसायी से पुनः नियोजन की मांग करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, अपवादस्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर। जहाँ ऐसा दावा उपलब्ध भी होता था, वह कोई पूर्ण अधिकार नहीं होता था, अपितु वह एक विवेकाधीन विषय होता था, जिसे सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक रूप से प्रयोग में लाया जाता था। जब कोई औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे दावे की जाँच करता था, तो उसे विषय के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता था। उसे यह परीक्षण करना होता था कि क्या उत्तरवर्ती व्यवसायी द्वारा पुनः नियोजन से इनकार करना मनमाना एवं औद्योगिक दृष्टि से अनुचित था, अथवा क्या वह ऐसे इनकार के लिए कोई युक्तिसंगत एवं सद्भावनापूर्ण कारण प्रस्तुत कर सकता था — जैसे कार्य की अनुपलब्धता, आवेदक की उपलब्ध कार्य को प्रभावकारी रूप से संपादित करने की अक्षमता, पूर्व प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए पुनः नियोजन हेतु आवेदन का विलंब से प्राप्त होना, अथवा कोई अन्य कारण जो न्यायाधिकरण की दृष्टि में यह ठहराता हो कि उत्तराधिकारी को पुराने उपक्रम के सभी अथवा किसी भी कर्मचारी को पुनः नियोजित करना अनुचित होगा। यह विवेकाधिकार जो औद्योगिक न्यायालयों को प्रदान था, अब सामान्यतः उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिनियम में धारा 25–FF को सम्मिलित कर दिया गया है। परंतु, जहाँ पक्षकारों में से कोई एक अथवा दोनों राज्य की अभिकरण हों, जिन पर संविधान के अधीन उत्तरदायित्व निहित है, वहाँ न्यायालय को उपक्रम के हस्तांतरण के सभी पहलुओं पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त निर्देश प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होता है कि परिवर्तन के फलस्वरूप कोई अन्याय न उत्पन्न हो। वर्तमान प्रकरण में, हस्तांतरण के पक्षकार एक ओर राज्य है और दूसरी ओर एक पूर्णतः राज्य स्वामित्वाधीन निगम। इसीलिए हमने हस्तांतरण की शर्तों एवं प्रावधानों की समीक्षा की है तथा परिस्थितियों की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयुक्त निर्देश प्रदान किए हैं। अतः हम राज्य शासन तथा उक्त निगम, जो राज्य की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन अभिकरण है और राज्य के निर्देशों के अधीन कार्य करने हेतु बाध्य है, को निर्देशित करते हैं कि वे उपर्युक्त निर्देशों का पालन करें। उक्त निगम को, यदि आवश्यक हो, तो इन निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए अपने नियमों एवं विनियमों में संशोधन करने की स्वतंत्रता होगी।"

(16) वर्तमान प्रकरण में, पट्टे के अनुबंध द्वारा किया गया हस्तांतरण विवादित नहीं है, तथा उत्तरवादी क्रमांक–2 द्वारा किया गया यह कथन कि याचिकाकर्ता क्रमांक–1 अब भी याचिकाकर्ता क्रमांक–2 के माध्यम से अपनी स्थापना का संचालन कर रहा है —— यह प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः उत्तरवादी क्रमांक–2 को केवल पूर्व नियोजक से प्रतिपूरण प्राप्त करने का अधिकार था, परंतु उत्तरवर्ती व्यवसायी से नियोजन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि स्थानांतरणी अर्थात् उत्तरवर्ती व्यवसायी, स्थानांतरणकर्ता कंपनी अर्थात् याचिकाकर्ता क्रमांक–1 द्वारा नियोजित श्रमिकों की सेवाएँ ग्रहण करने हेतु बाध्य होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) जनरल लेबर यूनियन (रेड फ्लैग), बॉम्बे विरुद्ध बी. वी. चव्हाण एवं अन्य वाद में, जिस पर उत्तरवादी क्रमांक–2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, शिकायतें इस सम्बन्ध में थी कि क्या नियोजक द्वारा तालाबंदी लगाकर उसे निरंतर बनाए रखना अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आता है। उक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित कहा की:

"जब श्रमिकों द्वारा यह आरोप लगाया जाए कि तालाबंदी का सहारा लेकर अनुचित श्रम व्यवहार किया गया है, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष यथार्थ परीक्षण यह होगा कि, समापन के समय की सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या उक्त समापन केवल श्रमिकों की सेवाओं की समाप्ति हेतु एक उपकरण या बहाना मात्र था, अथवा वह वास्तविक था तथा नियोजक के नियंत्रण से परे कारणों के कारण किया गया था।" उक्त वाद वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

(18) कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध एमेलगामेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य वाद में, जिस पर उत्तरवादी क्रमांक–2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"यहाँ तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25–FF के अनुसार, जहाँ किसी उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन, चाहे समझौते द्वारा अथवा विधि द्वारा, उस उपक्रम से संबद्ध नियोजक से किसी नवीन नियोजक को हस्तांतरित किया जाता है, वहाँ वह प्रत्येक श्रमिक, जो उपक्रम में स्थानांतरण से ठीक पूर्व कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा में रहा है, उसे धारा 25–F के उपबंधों के अनुसार सूचना तथा प्रतिपूरण प्राप्त करने का पात्र होगा। इन श्रमिकों को धारा 25–F के अनुसार ऐसा कोई प्रतिपूरण नहीं दिया गया था।"

(19) वर्तमान प्रकरण में, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25–F के अंतर्गत अपेक्षित एक माह की पूर्व सूचना के स्थान पर वेतन तथा प्रतिपूरण याचिकाकर्ता क्रमांक–1 द्वारा स्वामित्वाधीन प्रतिष्ठान के श्रमिकों को प्रदान किया गया/प्रस्तावित किया गया। समस्त श्रमिकों ने अंतिम भुगतान स्वीकार कर लिया, **केवल ये चार श्रमिक अपवादस्वरूप हैं**, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया।

(20). "राम प्रवेश सिंह एवं अन्य विरुद्ध बिहार राज्य एवं अन्य" वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिपण्णी की है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"इसके अतिरिक्त, यह मान्यता कि जब भी किसी उपक्रम का अधिग्रहण, अंतरण अथवा क्रय होता है, उस स्थिति में प्राप्तकर्ता अथवा क्रेता को पूर्व स्वामी के कर्मचारियों की सेवाएँ यथावत् जारी रखनी चाहिए — यह मान्यता विधिसंगत नहीं है। वास्तव में, वैधानिक उपबन्ध इसके विपरीत संकेत करते हैं। *औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947* की *धारा 25–FF* में यह प्रावधान है कि जब किसी उपक्रम का स्वामित्व अथवा प्रबन्धन, करार द्वारा अथवा विधि की क्रियावली के अनुसार, उस उपक्रम से सम्बन्धित नियोक्ता से किसी नवीन नियोक्ता को स्थानांतरित होता है, उस स्थिति में, प्रत्येक कर्मकार जिसने उस उपक्रम में स्थानांतरण से पूर्व न्यूनतम एक वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की हो, वह कर्मकार *धारा 25–F* के उपबन्धों के अनुरूप *अधिसूचना* एवं *प्रतिपूरण* पाने का अधिकारी होगा, मानो उस कर्मकार को *सेवामुक्त* किया गया हो, सिवाय उन प्रकरणों के जो *उपवाक्य* में उल्लिखित हैं। अतः, किसी उपक्रम के अंतरण का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि — जब तक कर्मकारों की सेवाओं के निरंतरता के लिए कोई विशेष प्रावधान न हो — उस उपक्रम के कर्मचारियों की *नौकरी की समाप्ति* होगी तथा नियोक्ता *प्रतिपूरण* देने हेतु बाध्य होगा, जो कि *धारा 25–F* के अनुरूप देय होगा।"

(21). "नगर निगम दिल्ली विरुद्ध दिल्ली राज्य (2005) 4 एस.सी.सी. 605"; "हरियाणा रोडवेज विरुद्ध रूदन सिंह (2005) 5 एस.सी.सी. 591"; एवं "मदुराकण्टम सहकारी शक्कर मिल्स लिमिटेड विरुद्ध एस. विश्वनाथन

(2005) 3 एस.सी.सी. 193" वादों में दिये गये निर्णय, जिन पर उत्तरदाता क्र.2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने संदर्भित किया, इस वाद के तथ्यों एवं विवाद से प्रासंगिक नहीं हैं।

(22). वर्तमान वाद में, *परन्तुक* की वे तीन आवश्यक शर्तें उपलब्ध नहीं हैं, जिनके अनुसार: अंतरण से कर्मकार की सेवा बाधित नहीं हुई हो; अंतरण के पश्चात लागू सेवा की शर्तें, अंतरण से पूर्व की शर्तों की तुलना में कर्मकार के लिए किसी प्रकार से भी कम अनुकूल न हों; तथा नवीन नियोक्ता, अंतरण की शर्तों के अनुसार अथवा अन्यथा, कर्मकार को *सेवामुक्ति* की दशा में यह प्रमाणित करने हेतु विधिक रूप से उत्तरदायी हो कि उसकी सेवा *निरंतर* रही है एवं अंतरण से बाधित नहीं हुई है — ये शर्तें उक्त कर्मकारों पर लागू नहीं होतीं। उन कर्मकारों की सेवाएँ उत्तराधिकारी स्वामी को स्थानांतरित नहीं की गई हैं तथा करार में किसी भी कर्मकार की सेवाएँ हस्तांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(23). उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरवादी क्र. 2 के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले उपर्युक्त चारों श्रमिक, नोटिस अवधि के स्थान पर एक माह का वेतन, मुआवज़ा तथा अव्ययित अवकाश के नगदीकरण के पात्र हैं। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

1. AIR 1963 SC 1489
2. (1969) 1 SCC 192
3. AIR 1969 SC 590
4. (1991) 1 SCC 189

5. (1995) 1 SCC 312

6. (2001) 1 SCC 586

7. (2006) 8 SCC 381

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणःहिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Shraddha Raj Jyotishi (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur